[2019] 4 एस. सी. आर. 885

/

महानगर टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड बनाम

टाटा कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (2019 की सिविल अपील No.1766) 27 फरवरी, 2019

/

[आर**.** एफ**.** नरीमन और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

अनुबंध अधिनियम, 1872-ss.74 और 70-अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा जहां जुर्माना निर्धारित किया गया है-यू/एस के तहत योग्यता में दावा।70 जब खरीद आदेश, जिसमें प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के दो स्थानों पर अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना था और परिसमापन क्षति की वसूली अधिकतम 12 प्रतिशत तक सीमित होनी थी, अनुबंध-खरीद की अनुमति-द्वारा शासित पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए बिलों की राशि रु। 2,15,25,512/--12 प्रतिशत की सीमा के कारण, अपीलार्थी रुपये से अधिक राशि नहीं लगा सकते थे और कटौती नहीं कर सकते थे। 25,83,181-हालाँकि, अपीलकर्ता ने एकतरफा रूप से डार्क फाइबर की अपनी दर पर किराया लगाने के लिए आगे बढ़े-अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए बिल से कटौती करके प्रत्यर्थी को देय राशि में से राशि को समायोजित किया-प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें रुपये की वसूली की गई। 1,10,57,268/--अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःतत्काल मामला एस द्वारा कवर किया जाता है।74 – न्यायाधिकरण ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध के अंतर्गत परिसमापन क्षति के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत लगाया जा सकता है, जिसकी राशि रु। 25 लाख-चूंकि यह खंड पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, इसलिए संविदात्मक रूप से एक उच्च आंकड़ा बोलते हुए, परिसमापन हर्जाने के रूप में नहीं दिया जा सकता है, जिसे अंतिम माना जाना है-अपीलकर्ता केवल इस राशि का दावा कर सकता है-इस प्रकार, न्यायाधिकरण के आदेश ने बरकरार रखा-भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997।

/

/

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.1** धारा **70** अनुबंध अधिनियम के अध्याय **V** में आती है**,** जिसका शीर्षक कुछ संबंधों से मिलता-जुलता है

/

885 ए.

886 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 4 एस. सी. आर.

जिन्हें अनुबंध द्वारा बनाया गया है।इस अध्याय में पाँच खंड हैं।उनमें से प्रत्येक को इस तथ्य पर रखा गया है कि वास्तव में**,** इस अध्याय के अंतर्गत दावा करने वाले पक्षों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है।उदाहरण के लिए**,** धारा **68** के अंतर्गत **,** यदि किसी अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक आपूर्ति की जाती है**,** तो जिस व्यक्ति ने ऐसी आपूर्ति प्रदान की है**,** वह अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति का हकदार हो जाता है।धारा **69** एक ऐसे मामले से भी संबंधित है जहां एक व्यक्ति का उसमें उल्लिखित दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है**,** लेकिन जो उस धन के भुगतान में रुचि रखता है जिसे दूसरा व्यक्ति भुगतान करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है**,** और जो**,** इसलिए**,** ऐसे व्यक्ति की ओर से इसका भुगतान करता है।ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है।धारा **71** अंतर्गत फिर से**,** माल का खोजकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक बेली की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि माल के खोजकर्ता और माल के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है।समान रूप से**,** धारा **72** के अंतर्गत **,** एक व्यक्ति जिसे धन का भुगतान किया गया है या गलती या जबरदस्ती से कुछ भी दिया गया है**,** उसे उसे चुकाना या वापस करना होगा**,** अन्यथा**,** ऐसा व्यक्ति अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होगा।यहाँ फिर से**,** पक्षों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है।यही वह व्यवस्था है जिसमें धारा **70** आती है।**[**पैरा **2] [890-**एफ-एच**; 891-**ए-बी**]**

/

/

/

/

1.2 तत्काल मामला वास्तव में अनुबंध अधिनियम की धारा **74** द्वारा कवर किया गया है**,** जो अध्याय **VI** में आता है**,** जिसका शीर्षक "अनुबंध के उल्लंघन के परिणामों" का है।**[**पैरा **10] [895-**ख**] 1.3** टी**.** डी**.** एस**.** ए**.** टी**.** के आक्षेपित निर्णय में ठीक ही कहा गया है कि अनुबंध के अंतर्गत अधिकतम **12** प्रतिशत परिसमापन क्षति के रूप में लगाया जा सकता है**,** जो **25** लाख रुपये की राशि होगी।चूँकि यह खंड पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है**,** जाहिर है**,** एक उच्च आंकड़ा**,** संविदात्मक रूप से बोलते हुए**,** परिसमापन क्षति के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है**,** जिन्हें अंतिम माना जाना है और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।यह मामला होने के

कारण, अपीलार्थी केवल इस राशि का दावा कर सकता है।इस राशि से ऊपर दावा की गई किसी भी चीज़ को प्रत्यर्थी को वापस करना होगा।टी. डी. एस. ए. टी. के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा गया है।[पारस **13,14] [897**-जी-एच**; 898**-ए-बी**]** ए

/

/

/

887

महानगर टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड बनामटाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड।

मोसेल सोलोमन बनाम मार्टिन एंड कंपनी आई. एल. आर. **(1935) 62** कैल **612;** कन्हैयालाल बिसंदयाल भिवपुरकर **(**डॉ.**)** बनाम इंद्रचंदजी हमीरमलजी सिसोदिया ए. आई. आर. **1947** नाग **84;** अलोपी प्रसाद एंड संस लिमिटेड बनाम।भारत संघ **[1960] 2** एस. सी. आर. **793;** मुलमचंद बनाम एम. पी. राज्य। **[1968] 3** एस. सी. आर. **214;** उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम।बनाम मेस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड **(2017) 5** एससीसी **86;** कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए **(2015) 4**

/

एससीसी **136:[2015] 1** एस. सी. आर. **627-**मामला विधि संदर्भ के लिए संदर्भित

(1935) 62 अनुच्छेद **612** पैरा **3** ए. आई. आर. **1947** नाग **84** पैरा **4 [1960] 2** एस. सी. आर. **793** पैरा **5 [1968] 3** एस. सी. आर. **214** पैरा **6 (2017) 5** एस. सी. सी. **86** पैरा **7 [2015] 1** एस. सी. आर. **627** पैरा **11**

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.1766

2019.

2012 के टी. पी. No.465 में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 25.06.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

सुमित चंदर, शगुफा सलीम, सुश्री गरिमा प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री धरित्री फूकन।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1.वर्तमान अपील भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत एक विवाद से उत्पन्न होती है।याचिकाकर्ता, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के खिलाफ प्रत्यर्थी, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ["टीडीएसएटी"] के समक्ष एक याचिका के माध्यम से मांगी गई राहत, आईएनआर 1,10,57,268/- की राशि और उस पर ब्याज की वसूली के लिए है।पक्षकारों के बीच यह प्रश्न उठा कि क्या अपीलार्थी

/

/

888

/

[2019] 4 एस सी आर।

/

प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए बिलों से कटौती करके प्रत्यर्थी को देय देय राशि में से इस राशि को समायोजित करना उचित था।चूँकि दिनांकित खरीद आदेश 01.10.2008 दावे का आधार है, इसलिए उक्त खरीद आदेश के खंड 4 और 8 को निम्नानुसार निर्धारित करना महत्वपूर्ण है:

“4.आदेश का दायरा

/

XXX XXX XXX

iv.एस. टी. एम.-1 पर बैंडविड्थ की समाप्ति क्रमशः दिल्ली (किदवई भवन और नेहरू प्लेस) और मुंबई (फाउंटेन हेड और प्रभा देवी) में एम. टी. एन. एल. स्थलों/स्थानों पर अंतिम मील संपर्क में अतिरेक के साथ आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।इस बैंडविड्थ समाप्ति उद्देश्य के लिए, ऑप्टिकल/इलेक्ट्रिकल कनवर्टर, केबल और किसी भी अन्य हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, तो बोलीदाता द्वारा निशुल्क में व्यवस्था की जाएगी। "

/

XXX XXX XXX

/

“8. वितरण अनुसूची

(i) बैंडविड्थ के लिए भौतिक संपर्क खरीद आदेश के स्थान की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।" टी. डी. एस. ए. टी. ने इस खरीद आदेश पर विचार करते हुए कहाः

/

"25. इस स्तर पर, यह विचार के लिए आता है कि याचिकाकर्ता अपने मामले के बल के आधार पर किस राहत का हकदार है।इस उद्देश्य के लिए, शुरुआत में यह ध्यान रखना उपयोगी है कि याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर पी. ओ. के पैराग्राफ 4 (iv) के अनुसार अंतिम मील तक संपर्क प्रदान करना आवश्यक था।यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने न केवल दिसंबर 2008 तक आवश्यक संपर्क प्रदान नहीं किया, बल्कि उस समय तक भी जब उसने 11.01.2011 पर अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प चुना।बचाव पक्ष ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी और तर्क दिया कि उसे न तो प्रतिवादियों के भवनों/परिसरों तक पहुंच दी गई थी और न ही अंतिम मील संपर्क को प्रभावित करने की अनुमति दी गई थी।मार्च और अप्रैल 2009 के आसपास दिल्ली और मुंबई इकाइयों द्वारा अनुमति दिए जाने के एक साल से अधिक समय बाद याचिकाकर्ता द्वारा 01.06.2010 पर लिखे गए ईमेल पर भरोसा करके इस रुख को उचित ठहराने की मांग की गई थी। 01.06.2010 दिनांकित संचार के माध्यम से जाने पर, यह स्पष्ट है कि याचिका कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को अपने ए में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी

/

/

/

मुंबई में परिसर का निर्माण काफी देर से किया गया है और यह सही और विश्वसनीय नहीं लगता है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता के मामले को कमजोर और अस्वीकार्य पाते हैं क्योंकि यह अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने में असमर्थता या विफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिवादी पर दोष लगाता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक चरण में उत्तरदाताओं द्वारा कुछ देरी की गई थी, लेकिन केवल यही याचिकाकर्ता की पूर्ण विफलता को उचित या दोषमुक्त नहीं कर सकता है।

/

26. अगर हमारे पास मुंबई और दिल्ली में दो परिसरों में से प्रत्येक में अंतिम मील तक संपर्क प्रदान करने की सटीक लागत का पता लगाने के लिए विश्वसनीय सामग्री होती, तो हम याचिकाकर्ता के दावे से इतनी राशि कम कर देते और बाकी की अनुज्ञात देते।इससे न्याय के हित की पूर्ति होती और याचिकाकर्ता के अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोका जा सकता था।तथापि, वास्तविक लागतों के

बारे में ऐसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव में, जिसे याचिकाकर्ता ने पी. ओ. के पैराग्राफ 4 (iv) की आवश्यकताओं का पालन न करके बचाया है, हमने दोनों पक्षों के मामले को बारीकी से देखा है और हम पाते हैं कि सबसे अच्छा उत्तरदाता खंड 16 और विशेष रूप से खंड 16.2 का आह्वान कर सकते थे, जो कुछ स्थितियों जैसे कि भंडार/सेवाओं को वितरित करने में विफलता या पूरी या आंशिक रूप से परियोजना को स्थापित करने और चालू करने में विफलता में परिसमापन क्षति का प्रावधान करता है।याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकार किए गए चूक को सुरक्षित रूप से विफलता या देरी के रूप में माना जा सकता है जो परियोजना के किसी हिस्से की स्थापना/चालू करने को प्रभावित करता है जिसके लिए अंतिम मील संपर्क की आवश्यकता होती है।ऐसे मामले में, समझौते (पी. ओ.) के खंड 16.2 (बी) के अनुसार, परियोजना के प्रभावित हिस्से पर परिसमापन क्षति लगाई जा सकती है।खंड 16.2 (सी) के अनुसार, परिसमापन क्षति अधिकतम 12 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल की गई और प्राप्त होने वाली पूरी राशि का खुलासा रु. 512/- के रूप में किया गया है, इसलिए, 12 प्रतिशत की सीमा के कारण, उत्तरदाता <आई. डी1>, 83,181/- से अधिक राशि नहीं लगा सकते थे और कटौती नहीं कर सकते थे।इस वैध पाठ्यक्रम को अपनाने के बजाय, उत्तरदाताओं ने एकतरफा रूप से काले रेशे की अपनी दर पर किराया लगाने के लिए आगे बढ़े।प्रत्यर्थियों की ऐसी कार्रवाई अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत या अनुबंध (पी. ओ.) के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के एकतरफा कार्य के लिए किसी भी प्राधिकरण के बिना अपने पक्ष में दावे पर निर्णय लेने के बराबर है।

/

/

/

/

/

XXX XXX XXX

/

890

/

[2019] 4 एस सी आर।

28. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के दावे की अनुज्ञात है लेकिन केवल आंशिक रूप से।मूल राशि जो प्रत्यर्थी को वापस करनी होगी या याचिकाकर्ता को वापस करनी होगी वह रु. 1,10,57,268-Rs.25,83,181 = Rs.84,74,087/- होगी।याचिकाकर्ता ने देय राशि होने की

तारीख से लेकर 15.07.2012 तक ब्याज के रूप में Rs.66,33,414/- की राशि का भी दावा किया है।इसने 18 प्रतिशत की दर लागू करके इस राशि की गणना की है।गणना अनुलग्नक पी-14 में है जो उन तारीखों का खुलासा करती है जब कटौती के बाद छोटे भुगतान किए गए थे।हम समझौते (पी. ओ.) में ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति देने के लिए राजी नहीं हैं।इसलिए, याचिकाकर्ता के पक्ष में 74,087/- की मूल राशि की अनुमति देते हुए, हम इस निर्णय/आदेश की तारीख तक देय राशि की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। "

/

/

2. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट प्रश्न उत्पन्न होता है, जो यह है कि क्या, जब पक्ष अनुबंध द्वारा शासित होते हैं, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ["अनुबंध अधिनियम"] की धारा 70 के अंतर्गत योग्यता के आधार पर दावा करने की अनुमति होगी।अनुबंध अधिनियम की धारा 70 इस प्रकार हैः

/

“70. गैर-निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व

अभिनय करें।— जहाँ कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है, या उसे कुछ भी प्रदान करता है, ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है, और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करता है, तो बाद वाला इस तरह से किए गए या वितरित किए गए कार्य के संबंध में पूर्व को मुआवजा देने या पुनर्स्थापित करने के लिए बाध्य है। "

/

यह धारा अनुबंध अधिनियम के अध्याय V में आती है, जिसका शीर्षक "अनुबंध द्वारा बनाए गए कुछ संबंधों से मिलता-जुलता है"।इस अध्याय में पाँच खंड हैं।उनमें से प्रत्येक को इस तथ्य पर रखा गया है कि वास्तव में, इस अध्याय के अंतर्गत दावा करने वाले पक्षों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है।उदाहरण के लिए, धारा 68 के अंतर्गत , यदि किसी अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक आपूर्ति की जाती है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसी आपूर्ति प्रदान की है, वह अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति का हकदार हो जाता है।धारा 69 एक ऐसे मामले से भी संबंधित है जहां एक व्यक्ति का उसमें उल्लिखित दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, लेकिन जो उस धन के भुगतान में रुचि रखता है जिसे दूसरा व्यक्ति भुगतान करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है, और कौन, ए

/

/

/

इसलिए, ऐसे व्यक्ति की ओर से इसका भुगतान करें।ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है।धारा 71 अंतर्गत फिर से, माल का खोजकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक बेली की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि माल के खोजकर्ता और माल के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है।समान रूप से, धारा 72 के अंतर्गत , एक व्यक्ति जिसे धन का भुगतान किया गया है या गलती या जबरदस्ती से कुछ भी दिया गया है, उसे उसे चुकाना या वापस करना होगा, अन्यथा, ऐसा व्यक्ति अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होगा।यहाँ फिर से, पक्षों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है।यही वह व्यवस्था है जिसमें धारा 70 आती है।

/

3. मोसेल सोलोमन बनाम मार्टिन एंड कंपनी, आई. एल. आर. (1935) 62 कैल 612 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक प्रारंभिक निर्णय के परिणामस्वरूप दोनों न्यायाधीशों के बीच इस मुद्दे पर विभाजित निर्णय हुआ कि क्या अनुबंध अधिनियम की धारा 70 तब लागू हो सकती है जब वास्तव में, पक्षों के बीच एक अनुबंध हो।लॉर्ट-विलियम्स, जे. ने कहाः

/

“यह प्रश्न तय किया जाना बाकी है कि क्या दूसरा प्रतिवादी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत उत्तरदायी है और किस हद तक।इस धारा द्वारा प्रदान किया गया उपचार मूलधन और अभिकर्ता की देनदारियों से संबंधित विधि पर निर्भर नहीं है।यह एक स्वतंत्र उपाय है, जो कार्रवाई के एक अलग कारण पर आधारित है, अर्थात्, क्या किसी व्यक्ति ने कानूनी रूप से दूसरे के लिए कुछ किया है या बिना किसी कारण के ऐसा करने के इरादे से उसे कुछ दिया है, और ऐसे अन्य व्यक्ति को इसका लाभ मिला है।यदि ऐसा है, तो उसे या तो इस संबंध में मुआवजा देना चाहिए, या इस तरह से किए गए या वितरित किए गए काम को बहाल करना चाहिए। "

/

/

(पृष्ठ 619 पर)

दूसरी ओर, जैक, जे. ने कहाः“जहाँ तक अपील का संबंध है, यह स्पष्ट है कि दूसरे प्रतिवादी को अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जहाँ तक कि यह अनुबंध का मामला है और जहाँ एक स्पष्ट अनुबंध है, धारा 70 का कोई अनुप्रयोग नहीं है, जैसा कि अधिनियम के अध्याय V के शीर्षक से दिखाया गया है, जिसमें धारा को जगह मिलती है।इसका

नेतृत्व "अनुबंध द्वारा बनाए गए कुछ संबंधों को फिर से जोड़ना" है, स्पष्ट रूप से अनुबंध द्वारा वास्तव में बनाए गए संबंधों को छोड़कर, जैसा कि इस मामले में है।हालाँकि, अनुबंध अधिनियम संपूर्ण नहीं है। "

/

/

(पृष्ठ 623 पर)

/

892 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 4 एस. सी. आर.

4.कन्हैयालाल बिसंदयाल भिवापुरकर (डॉ.) बनाम इंद्रचंदजी हमीरमलजी सिसोदिया, ए. आई. आर. 1947 नाग 84 में, एक विद्वान एकल

उच्च विधि के न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञ के आवेदन पर विचार कर रहे थे, जो पेशेवर काम की कीमत के रूप में आई. एन. आर. 188/- की राशि की वसूली करना चाहते थे, यानी एक एम. टी. के साथ एक समझौते के अनुसार मोतियाबिंद को हटाना। लक्ष्मीबाई और उनके दामाद मोहन लाल, जिस समझौते के अनुसार उक्त ऑपरेशन किया जाना था।अनुबंध अधिनियम की धारा 68 और 70 की अपील को निम्नलिखित शर्तों में खारिज कर दिया गया थाः

/

“10. तर्क के दौरान, एस. एस. के अंतर्निहित सिद्धांतों के लिए एक अपील की गई थी। 68 और 70, अनुबंध अधिनियम, पति को उत्तरदायी बनाने के लिए।वास्तव में धारा 68 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित है, लेकिन यह उस व्यक्ति के संबंध में है जो अनुबंध करने में असमर्थ है या "कोई भी व्यक्ति जिसे वह कानूनी रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य है", अर्थात अनुबंध करने में अक्षम व्यक्ति का आश्रित है।इंद्रचंदजी अनुबंध करने में अक्षम नहीं थे और यह धारा उनके लिए लागू नहीं है।धारा 70 के संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि इस धारा का लाभ उस व्यक्ति द्वारा नहीं उठाया जा सकता है जो एक स्पष्ट अनुबंध पर निर्भर करता है जैसा कि वादी ने माउंट के साथ किया था। इस मामले में लक्ष्मीबाई।जब वादी ने उसके साथ शर्तों का निपटारा किया तो पति ने कभी भी तस्वीर में प्रवेश नहीं किया।न ही यह दिखाने के लिए कुछ है कि पति को कोई लाभ कैसे मिला।यह केवल वास्तविक लाभ है जो कार्रवाई के आधार को भुखमरी में डाल देगा।यदि पत्नी अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गई थी, तो शायद वह परिस्थिति भौतिक हो सकती है; लेकिन इस बिंदु पर कोई सबूत नहीं है। "

/

/

/

5. अलोपी प्रसाद एंड संस लिमिटेड बनामभारत संघ, (1960) 2

एस. सी. आर. 793, इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता पुरस्कार पर विचार किया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, योग्यता के आधार पर कुछ राशि प्रदान की।अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर पुरस्कार अपास्त करते हुए ते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

/

"..... अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत एजेंटों द्वारा घी की आपूर्ति किए जाने के कारण, एजेंटों का अधिकार उस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत पारिश्रमिक प्राप्त करना था।श्री चटर्जी द्वारा दिए गए इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि एजेंट योग्यता के आधार पर निर्धारित शर्तों से काफी अलग दरों पर पारिश्रमिक का दावा करने के हकदार थे।किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवाओं के लिए मुआवजा क्वांटम मेरिट प्रदान किया जाता है, ए

/

/

893

महानगर टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड बनाम

टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

जब उसकी कीमत किसी अनुबंध द्वारा तय नहीं की जाती हो।अनुबंध की शर्तों के अनुसार किए गए काम या प्रदान की गई सेवाओं के लिए, जहां अनुबंध उस ओर से देय प्रतिफल के लिए प्रदान करता है, वहां मुआवजे की मात्रा को सम्मानित नहीं किया जा सकता है।लेकिन पारिश्रमिक के लिए एक अनुबंध के निहितार्थ पर दिया गया उचित मुआवजा, और एक अनुबंध के अंतर्गत पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली एक स्पष्ट शर्त, यह मानते हुए विस्थापित नहीं की जा सकती है कि शर्त उचित नहीं है।

/

(पृष्ठ 809 पर)

6. मुलामचंद बनाम एम. पी. राज्य, (1968) 3 एस. सी. आर. 214 में, यह न्यायालय

/

अभिनिर्धारित किया कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 175 (3) के प्रावधान अनिवार्य हैं और सार्वजनिक नीति पर आधारित हैं।इसलिए, सरकार की ओर से अनुबंध किए जाने पर निर्धारित

औपचारिकताओं को माफ या समाप्त नहीं किया जा सकता है।अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत किए गए दावे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने आगे कहाः

/

"…… दूसरे शब्दों में, यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस धारा के प्रावधानों को पीड़ित पक्ष द्वारा अमान्य अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है।पहली शर्त यह है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए या उसे कुछ देना चाहिए; दूसरी शर्त यह है कि उक्त कार्य करने या उक्त कार्य को वितरित करने का उसका इरादा अनावश्यक रूप से कार्य करने का नहीं होना चाहिए; और तीसरी शर्त यह है कि दूसरा व्यक्ति जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है, उसे इसका लाभ मिलना चाहिए।यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो धारा 70 बाद वाले व्यक्ति पर इस तरह से किए गए या वितरित किए गए कार्य के संबंध में पूर्व को मुआवजा देने या पुनर्स्थापित करने का दायित्व लगाती है।ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 70 के अंतर्गत आने वाले मामले में व्यक्ति जो दूसरे के लिए कुछ कर रहा है या दूसरे को कुछ वितरित कर रहा है, वह अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है, न ही अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग कर सकता है, इस सरल कारण से कि उसके और उस दूसरे व्यक्ति के बीच कोई अनुबंध नहीं है जिसके लिए वह कुछ करता है या जिसके लिए वह कुछ वितरित करता है।इसलिए जहां धारा 70 के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ मुआवजे का दावा किया जाता है, तो यह दोनों के बीच किसी भी मौजूदा अनुबंध के आधार पर नहीं है।

/

/

/

/

पक्षकार लेकिन एक अलग तरह के दायित्व पर।ऐसे मामले में दायित्व का न्यायिक आधार किसी अनुबंध या अपकृत्य पर आधारित नहीं है, बल्कि विधि की तीसरी श्रेणी, अर्थात् अर्ध-अनुबंध या पुनर्स्थापना पर आधारित है।

(पीपी पर। 221-222)7. इस निर्णय को हाल ही में संदर्भित किया गया है और इसका पालन किया गया है

/

उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम।वी. मेस्को

कलिंगा स्टील लिमिटेड, (2017) 5 एस. सी. सी. 86 पैरा 21 पर। 8.वास्तव में, विधि में उपरोक्त स्थिति अनुबंध अधिनियम की धारा 73 द्वारा स्पष्ट की गई है। धारा 73 इस प्रकार हैः

/

“73. उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति

अनुबंध।— जब कोई अनुबंध तोड़ा जाता है, तो जो पक्ष इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित होता है, वह उस पक्ष से, जिसने अनुबंध तोड़ा है, किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुआ है, या जिसे पक्षकारों को पता था कि जब उन्होंने अनुबंध किया था, तो इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।इस तरह का मुआवजा उल्लंघन के कारण हुए किसी भी दूरस्थ और अप्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए नहीं दिया जाना है।

/

अनुबंध द्वारा बनाए गए दायित्वों के समान दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए क्षतिपूर्ति। — जब कोई बाध्यता हो

/

अनुबंध द्वारा बनाए गए लोगों के समान खर्च किया गया है और उसे छुट्टी नहीं दी गई है, इसका निर्वहन करने में विफलता से घायल कोई भी व्यक्ति चूक में पक्ष से समान मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने इसे निर्वहन करने का अनुबंध किया था और अपने अनुबंध को तोड़ा था।

/

स्पष्टीकरण।—अनुबंध के उल्लंघन से होने वाले नुकसान या क्षति का अनुमान लगाने में, अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए मौजूद साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। "

/

9. यह धारा यह स्पष्ट करती है कि अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान को अनुबंध द्वारा बनाए गए दायित्वों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान से अलग माना जाता है।जब कोई अनुबंध तोड़ा जाता है, तो धारा 73 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत नुकसान की वसूली की जा सकती है।कब, ए

/

हालाँकि, नुकसान के लिए दावा अनुबंध द्वारा बनाए गए दायित्वों से मिलता-जुलता है, यह धारा 73 के पैराग्राफ 3 द्वारा कवर किया जाएगा।

10. वास्तव में, वर्तमान मामला वास्तव में अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा कवर किया गया है, जो अध्याय VI में आता है, जिसका शीर्षक है, "अनुबंध के उल्लंघन के परिणामों का"।धारा 74 में कहा गया हैः

/

“74. अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा जहां जुर्माना लगाया जाता है

के लिए निर्धारित।— जब कोई अनुबंध तोड़ा जाता है, यदि अनुबंध में किसी राशि को इस तरह के उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में नामित किया जाता है, या यदि अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है, तो उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष उस पक्ष से प्राप्त करने का हकदार है, जिसने अनुबंध तोड़ा है और इस प्रकार नामित राशि से अधिक उचित मुआवजा या, जैसा भी मामला हो, इसके लिए निर्धारित जुर्माना।

/

स्पष्टीकरण।—चूक की तारीख से बढ़े हुए ब्याज के लिए एक शर्त दंड के रूप में एक शर्त हो सकती है।

/

अपवाद।—जब कोई व्यक्ति किसी भी जमानत-बंधन, मान्यता या समान प्रकृति के अन्य दस्तावेज में प्रवेश करता है, या किसी विधि के प्रावधानों के अंतर्गत , या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अंतर्गत , किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य के प्रदर्शन के लिए कोई बांड देता है जिसमें जनता रुचि रखती है, तो वह ऐसे किसी भी दस्तावेज की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, उसमें उल्लिखित पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

/

स्पष्टीकरण।—एक व्यक्ति जो सरकार के साथ अनुबंध करता है, वह आवश्यक रूप से कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं करता है, या कोई ऐसा कार्य करने का वादा नहीं करता है जिसमें जनता की रुचि हो। "

/

11. कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए, (2015) 4 एससीसी 136,

धारा 74 पर मामला विधि पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:"43. उपरोक्त प्राधिकारियों के संदर्भ में, धारा 74 के अंतर्गत अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे पर विधि को निम्नानुसार कहा जा सकता है:

/

43.1.जहां किसी अनुबंध में किसी राशि को नुकसान के रूप में देय परिसमापन राशि के रूप में नामित किया जाता है**,** तो पक्षकार उल्लंघन की शिकायत करता है।

/

896

/

[2019] 4 एस सी आर।

इस तरह की परिसमापन राशि को उचित मुआवजे के रूप में केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यह दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान हो और न्यायालय द्वारा ऐसा पाया जाए।अन्य मामलों में, जहां किसी अनुबंध में किसी राशि को नुकसान के रूप में देय परिसमापन राशि के रूप में नामित किया गया है, केवल उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है जो इस प्रकार बताई गई राशि से अधिक न हो।इसी तरह, उन मामलों में जहां निर्धारित राशि जुर्माने की प्रकृति में है, केवल उचित मुआवजा दिया जा सकता है जो इस प्रकार बताए गए जुर्माने से अधिक न हो।दोनों ही मामलों में, परिसमापन राशि या जुर्माना वह ऊपरी सीमा है जिसके बाद न्यायालय उचित मुआवजा नहीं दे सकती है।43.2.उचित क्षतिपूर्ति उन प्रसिद्ध सिद्धांतों पर तय की जाएगी जो अनुबंध के विधि पर लागू होते हैं, जो अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में अन्य बातों के साथ पाए जाते हैं।

/

/

43.3.चूंकि धारा 74 अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई क्षति या हानि के लिए उचित मुआवजा प्रदान करती है, इसलिए इस धारा के लागू होने के लिए नुकसान या हानि अनिवार्य है।43.4.यह धारा लागू होती है चाहे कोई व्यक्ति वाद में वादी हो या प्रतिवादी।

/

43.5.बताई गई राशि का भुगतान पहले से ही किया जा सकता है या भविष्य में देय हो सकता है।

/

43.6."वास्तविक क्षति या हानि इसके कारण हुई है या नहीं" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जहां वास्तविक क्षति या हानि साबित करना संभव है, वहां ऐसा प्रमाण नहीं दिया जाता है।यह केवल उन मामलों में है जहां क्षति या हानि को साबित करना मुश्किल या असंभव है कि अनुबंध में नामित परिसमापन राशि, यदि क्षति या हानि का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, तो प्रदान किया जा सकता है। "

/

12. वर्तमान मामले में, खंड 16.2 से 16.4 प्रासंगिक हैं, और निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

" 16.2 (क) दुकानों की डिलीवरी के लिए:

/

यदि आपूर्तिकर्ता डिलीवरी के लिए निर्धारित अवधि के भीतर स्टोर/सेवाओं या उसकी किसी भी खेप को वितरित करने में विफल रहता है, तो खरीदार देरी के प्रत्येक सप्ताह या उसके कुछ हिस्से के लिए देरी से आपूर्ति के मूल्य का 0.5% वसूल करने का हकदार होगा।

/

10 (टी. ई. एन.) सप्ताह तक की अवधि और उसके बाद विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए विलंबित आपूर्ति के मूल्य के 0.7% की दर से या एक और दस सप्ताह की देरी के लिए उसके हिस्से के लिए। पैकेज आपूर्ति के मामले में जहां आपूर्ति के विलंबित हिस्से से प्रणाली की स्थापना और चालू करने में बाधा आती है, खरीद आदेश के संबंधित पैकेज के कुल मूल्य पर उपरोक्त एल/डी शुल्क लगाया जाएगा।हालांकि, जब विस्तारित वितरण अवधि में क्यू. ए. मंजूरी के 21 दिनों के भीतर आपूर्ति की जाती है, तो माल प्राप्तकर्ता दुकानों को स्वीकार कर सकता है और ऐसे मामलों में एल. डी. क्यू. ए. मंजूरी की तारीख तक लगाया जाएगा।

/

/

16.2 (ख**)** स्थापना और आयोग के लिए

यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को स्थापित करने और चालू करने में विफल रहता है, तो खरीदार 10 (टी. ई. एन.) सप्ताह तक की अवधि के लिए देरी के प्रत्येक सप्ताह या उसके हिस्से के लिए खरीद आदेश के मूल्य का 0.5% वसूल करने का हकदार होगा और उसके

बाद देरी के प्रत्येक सप्ताह या उसके हिस्से के लिए खरीद आदेश के मूल्य का 0.7% और 10 (टी. ई. एन.) सप्ताह की देरी के लिए।ऐसे मामलों में, जहां देरी परियोजना के हिस्से की स्थापना/चालू करने को प्रभावित करती है और उपकरण का हिस्सा पहले से ही वाणिज्यिक उपयोग में है, ऐसे मामलों में, परियोजना के प्रभावित हिस्से पर एल. डी. लगाया जाएगा।

/

/

16.2 (सी)।उपरोक्त खंड 16.2 (ए) और 16.2 (बी) के अनुसार परिसमापन क्षति अधिकतम 12 प्रतिशत तक सीमित होगी, भले ही डी. पी. विस्तार 20 सप्ताह से अधिक दिया गया हो।

16.3.खंड 16.2 (क) में निहित प्रावधान उन अवधियों (अवधियों) के लिए लागू नहीं होंगे जो उपरोक्त खंड 16.2 (ख) के विरुद्ध एल. डी. को आकर्षित करती हैं।

/

16.4.खरीदार द्वारा मूल्यांकन किए गए और लगाए गए परिसमापन किए गए नुकसान की मात्रा अंतिम होगी और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। "13. जैसा कि आक्षेपित निर्णय द्वारा सही माना गया है, अनुबंध के अंतर्गत अधिकतम 12 प्रतिशत की परिसमापन क्षति के रूप में लगाई जा सकती है, जो 25 लाख रुपये की राशि होगी।चूँकि यह खंड पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जाहिर है, एक उच्च आंकड़ा, संविदात्मक रूप से बोलते हुए, परिसमापन हर्जाने के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है, जो

/

/

इन्हें अंतिम माना जाना चाहिए और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुनौती देने योग्य नहीं माना जाना चाहिए।यह मामला होने के कारण, अपीलार्थी केवल इस राशि का दावा कर सकता है।इस राशि से ऊपर दावा की गई किसी भी चीज़ को प्रत्यर्थी को वापस करना होगा।

14. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम टी. डी. एस. ए. टी. के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखते हैं और वर्तमान अपील को खारिज करते हैं।

/

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/

/